ऋण समझौता

यह समझौता यहां किया गया है____________________इस पर (स्थान)__________के दिन____________20______.

बीच में

1. ____श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी____
2. ____श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी____
3. ____श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी____
4. ____श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी____

इसके बाद प्रथम भाग का "उधारकर्ता" कहा जाएगा।

और

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, (भारतीय) कंपनी अधिनियम, 2013 (सीआईएन: U65900DL2020PLC366027) के तहत निगमित कंपनी और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ में बैंकिंग कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 501, सालकॉन ऑरम जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली 110025 में है और इसकी शाखाएं/संवाददाता अन्य बातों के साथ-साथ इस समझौते के अंत में उल्लिखित स्थान पर हैं (जिसे इसके बाद दूसरे भाग के "बैंक" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

अब उधारकर्ता द्वारा निम्नानुसार सहमति, घोषणा, अभिलेखन और पुष्टि की जाती है

इस बात पर विचार करते हुएबैंक ने रु. 1 लाख का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है/देने पर सहमत हुआ है। ____ **(इसके बाद संदर्भ के आधार पर इसे “ऋण” या “ऋण खाता” कहा जाएगा)**बैंक द्वारा ऋणकर्ता को उस उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है जिसके लिए ऋण प्रदान किया जाता है, ऋणकर्ता इसके द्वारा उन नियमों और शर्तों से सहमत होता है, रिकॉर्ड करता है और पुष्टि करता है जिन पर ऋण प्रदान किया जाता है:

1. ऋणकर्ता का आवेदन, बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने या दिए जाने वाले ऋण के लिए समझौते का आधार बनेगा और ऋणकर्ता इसमें दिए गए प्रत्येक कथन और विवरण की सत्यता की पुष्टि करता है।

2. उधारकर्ता इसके अतिरिक्त:
   - i. उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में निहित प्रत्येक शर्त को पूरा करने का वचन देता है।
   - ii. यह वचन देता है कि बैंक द्वारा दिए गए ऋण का उपयोग ऋण आवेदन में बताए गए उद्देश्यों और तरीके के लिए किया जाएगा, तथा उसका उपयोग स्वीकृति सलाह के साथ किया जाएगा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

3. उधारकर्ता को मासिक ब्याज का भुगतान करना होगा और अंतिम ब्याज मांग के साथ मूलधन का भुगतान बुलेट किस्त में करना होगा। ऋण का विवरण इस प्रकार है:

अग्रिम राशि	कार्यकाल

यह सहमति हुई है कि प्रत्येक किस्त की राशि तय होने के बावजूद, बैंक अपने विवेक से उधारकर्ता को कोई कारण बताए बिना किस्त की राशि या किस्तों की संख्या और साथ ही पुनर्भुगतान की तिथि में परिवर्तन और/या संशोधन कर सकता है। यदि बैंक उधारकर्ता को प्रत्येक किस्त की राशि और किस्तों की संख्या में संशोधन/परिवर्तन की सूचना देता है, तो उसे इस समझौते में प्रतिस्थापित माना जाएगा।

4. निश्चित ब्याज दर होगी .... % प्रति वर्ष इसकी गणना मासिक विश्राम के आधार पर की जाएगी।
मासिक आधार पर देय होगा।

या

उधारकर्ता बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार दर (ईबीएलआर) पर क्रेडिट जोखिम प्रीमियम के रूप में [%] की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत है, जो वर्तमान में [%] है, (जिसे इसके बाद "बेंचमार्क दर" कहा जाएगा) अर्थात [%] प्रति वर्ष मासिक आधार पर ब्याज देय होगा, चाहे खाते में वास्तव में डेबिट किया गया हो या नहीं, और जब तक भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक बैंक द्वारा उधारकर्ता को दिए गए अग्रिम/अग्रिमों का हिस्सा होगा और उधारकर्ता समय-समय पर आवश्यक वचन पत्र और/या डेबिट बैलेंस पुष्टिकरण निष्पादित करने के लिए सहमत होता है।

ब्याज दर में किसी भी संशोधन की स्थिति में, उधारकर्ता को ब्याज दर में संशोधन की सूचना तब मिल जाएगी, जब ईबीएलआर/क्रेडिट जोखिम प्रीमियम में ऐसा संशोधन बैंक द्वारा उस शाखा परिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित/अधिसूचित किया जाता है, जहां उधारकर्ता द्वारा अग्रिम/अग्रिम लिया गया है या बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है, या उधारकर्ता/ओं को दिए गए खाते के विवरण में लगाए गए ब्याज की प्रविष्टि के माध्यम से ज्ञात किया जाता है।

5. ऋणी इस बात पर भी सहमत है कि ऋणी को समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित शुल्क और प्रभार का भुगतान करना होगा, जो कि नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित दरों पर या समय-समय पर बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे।

6. उधारकर्ता इस बात पर भी सहमत है कि यदि देय तिथियों पर किसी ब्याज मांग या किस्त के भुगतान में चूक की जाती है तो उधारकर्ता को उस दर पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना होगा, जैसा कि बैंक अपने विवेक से बकाया राशि पर निर्धारित करेगा।

7. यदि देय तिथियों पर किसी ब्याज मांग या किस्त का भुगतान करने में चूक की जाती है, तो ऋण की पूरी राशि या उस समय बकाया शेष राशि (दंडात्मक ब्याज सहित) और बैंक को देय तुरंत देय हो जाएगी और बैंक द्वारा मांग किए जाने पर उधारकर्ता बैंक को उस समय बकाया और बैंक को देय सभी धनराशि या देनदारियों को ब्याज (दंडात्मक ब्याज सहित) और अन्य सभी शुल्कों और खर्चों के साथ चुकाएगा। उधारकर्ता आगे सहमत है कि इस तरह के डिफ़ॉल्ट के मामले में, बैंक के पास उधारकर्ता के जोखिम और लागत पर, बैंक द्वारा तय किए गए दैनिक समाचार पत्रों या अन्य मीडिया में बैंक के चूककर्ता के रूप में उधारकर्ता की तस्वीर/तस्वीरों को प्रकाशित करने का निर्विवाद अधिकार होगा और उधारकर्ता इसके द्वारा उधारकर्ता को किसी भी अतिरिक्त सूचना के बिना बैंक के ऐसे कार्यों के लिए अपनी स्पष्ट सहमति व्यक्त करता है।

8. ऋणकर्ता इस करार के तहत बैंक को देय किसी भी राशि की सत्यता के निर्णायक प्रमाण के रूप में बैंक की पुस्तकों से तैयार किए गए तथा बैंक के लेखाकार या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लेखा विवरण को स्वीकार करने के लिए सहमत है, बिना किसी वाउचर, दस्तावेज या कागज प्रस्तुत किए तथा ऋणकर्ता इस करार के अनुसार अर्जित ब्याज का भुगतान बैंक को करने के लिए भी सहमत है, लेकिन वास्तव में ऋण खाते से डेबिट नहीं किया गया है।

9. उपर्युक्त किसी भी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित में से किसी भी घटना के घटित होने पर, संपूर्ण ऋण या घटना के समय बकाया संपूर्ण शेष राशि उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय हो जाएगी:

i. इस समझौते के अनुसार किसी भी ब्याज मांग या किस्त का भुगतान न करने पर।
ii. प्रतिबंध/इस समझौते के किसी भी नियम व शर्त का उल्लंघन करने पर।

iii. उधारकर्ता द्वारा अपने ऋणदाता/ऋणदाताओं के साथ कोई समझौता या समझौता करना या कोई ऐसा कार्य करना जिसके परिणामस्वरूप उधारकर्ता को किसी व्यक्ति के मामले में दिवालिया होने तथा किसी कंपनी के मामले में उसे बंद करने का आदेश दिए जाने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

iv. उधारकर्ता की संपत्तियों के निर्णय से पहले डिक्री या कुर्की के निष्पादन में जारी की गई कोई भी प्रक्रिया जिसके परिणामस्वरूप उधारकर्ता अपनी संपत्तियों पर नियंत्रण खो देता है या उचित न्यायालय से दिवालियापन का नोटिस प्राप्त होता है या यदि उधारकर्ता एक कंपनी है, तो कंपनी न्यायालय से समापन के लिए नोटिस प्राप्त होता है।

v. उधारकर्ता की संपत्तियों पर एक रिसीवर नियुक्त किया जा रहा है और बैंक का मानना है कि उधारकर्ता की संपत्तियां
रिसीवर द्वारा कब्ज़ा कर लिया गया

vi. किसी अन्य घटना या परिस्थिति का घटित होना, जो किसी भी तरह से ऋणी की उक्त ऋण को चुकाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो या पड़ने की संभावना हो, इस संबंध में बैंक की राय निर्णायक होगी।

vii. यदि उधारकर्ता एक कंपनी है और कंपनी के समापन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है या उधारकर्ता एक साझेदारी फर्म है और फर्म के विघटन के लिए अदालत में आवेदन दायर करता है।

viii. उधारकर्ता द्वारा व्यवसाय बंद करना या बंद करने की धमकी देना या उधारकर्ता द्वारा ऐसा करने के इरादे की सूचना देना।

10. इस करार के अंतर्गत किसी चूक के कारण बैंक को होने वाले किसी अधिकार, शक्ति या उपचार में किसी प्रकार की देरी या चूक से ऐसे किसी अधिकार, शक्ति या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही इसे ऐसे किसी चूक के लिए बैंक द्वारा छूट या स्वीकृति माना जाएगा और न ही किसी चूक के संबंध में बैंक की ऐसी निष्क्रियता से ऐसे किसी चूक के संबंध में बैंक के किसी अधिकार, शक्ति या उपचार पर कोई प्रभाव पड़ेगा या उसमें कमी आएगी।

11. इसके अंतर्गत मांग या अन्यथा की कोई भी सूचना बैंक द्वारा उधारकर्ता को उसके भारत में व्यवसाय या निवास के अंतिम ज्ञात स्थान पर दी जा सकती है और डाक द्वारा भेजी जा सकती है। इसे उस समय दिया गया माना जाएगा जब इसे डाक द्वारा उचित समय पर पहुंचाया जाएगा और यह साबित करने के लिए पर्याप्त होगा कि सूचना वाला लिफाफा पोस्ट किया गया था।

12. ऋणी इसके साथ ही इस बात पर भी सहमत है कि यदि ऋणी नियत तिथि/तिथियों पर ऋण की अदायगी या उस पर ब्याज की अदायगी में चूक करता है, तो बैंक और/या भारतीय रिजर्व बैंक को ऋणी या उसके निदेशकों/भागीदारों/स्वामी का नाम चूककर्ता के रूप में ऐसे तरीके से और ऐसे माध्यम से प्रकट करने या प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार होगा, जैसा कि बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे।

13. उधारकर्ता स्पष्ट रूप से यह मानता और स्वीकार करता है (यह पूर्व सहमति/पूर्व प्राधिकरण के बराबर है) कि बैंक, उधारकर्ता के संदर्भ या उसे कोई सूचना दिए बिना, पूरी तरह से हकदार होगा और उसके पास पूर्ण शक्ति और प्राधिकार होगा, बेचने, हस्ताक्षर के रूप में, नवीकरण, प्रतिभूतियों या किसी तीसरे पक्ष या व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए, जैसा कि बैंक तय करे, ऋण और सभी बकाया देय और इस समझौते के तहत अधिकार और दायित्व और किसी भी सुरक्षा/अतिरिक्त सुरक्षा (गारंटी/ओं सहित)/विभिन्न बीमा पॉलिसियों के तहत लाभ जो बैंक के पक्ष में बनाए जा सकते हैं, किसी भी तरीके से, पूरे या आंशिक रूप से और ऐसी शर्तों पर, जैसा कि बैंक तय करे, जिसमें इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा देय किसी भी राशि के लिए चूक की स्थिति में असाइनी/हस्तांतरिती की ओर से उधारकर्ता, अतिरिक्त सुरक्षा या गारंटर के खिलाफ आगे बढ़ने की शक्ति बैंक के पास सुरक्षित रखना शामिल है। ऐसी कोई भी बिक्री, असाइनमेंट, नवीकरण, हस्तांतरण या प्रतिभूतिकरण उधारकर्ता को बाध्य करेगा और उधारकर्ता तीसरे पक्ष को अपने एकमात्र लेनदार या लेनदारों के रूप में स्वीकार करेगा और ऐसी स्थिति में उधारकर्ता बैंक या ऐसे लेनदार को या जैसा कि बैंक निर्देश दे सकता है, इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा देय बकाया राशि का भुगतान करेगा। उधारकर्ता बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस समझौते के लाभ या दायित्व को सीधे या परोक्ष रूप से बेचने/हस्तांतरित करने/असाइन करने/नवीकरण करने का हकदार नहीं होगा।

14. उधारकर्ता इस बात पर भी सहमत होता है कि ऋण की अवधि के दौरान तथा उक्त खाते में बकाया राशि के भुगतान के लिए, बैंक को उधारकर्ता या उनमें से किसी एक के कारण या उधारकर्ता या उनमें से किसी की ओर से बैंक द्वारा भारत में या अन्यत्र अकेले या अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से रखे गए हर प्रकार की चल संपत्ति पर बिना किसी पूर्व सूचना के ग्रहणाधिकार तथा खातों को सेट ऑफ करने और संयोजित करने का अधिकार होगा, जिसमें सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई भी धन, सोना, जमा, धन के लिए जमा रसीद, वचन पत्र, विनिमय पत्र, हुंडी, स्टॉक, माल, माल, बिल नोट आदि तथा अन्य दस्तावेज शामिल हैं जो उधारकर्ता के किसी निगम/संघ/कंपनी के ऋणदाता या सदस्य या शेयरधारक होने का प्रमाण देते हैं।

15. ऋणकर्ता ऋण के लिए निर्धारित अवधि के अनुसार बैंक को राशि चुकाने का वचन देता है।

16. उधारकर्ता को अपने सभी मौजूदा ऋण और जमा खातों की जानकारी बैंक को देनी होगी और यदि उधारकर्ता किसी अन्य बैंक में खाता खोलना चाहता है, तो उधारकर्ता को बैंक से एनओसी लेना आवश्यक होगा।

17. उधारकर्ता सहमत है कि यहाँ पर अनुरोध, मांग या अन्यथा सेवा के लिए आवश्यक कोई भी सूचना पर्याप्त रूप से सेवा की जाएगी यदि इसे बैंक में पंजीकृत उनके/मेरे/हमारे पते पर संबोधित और प्रेषित किया जाए या यदि ऐसा कोई पता पंजीकृत नहीं है तो उनके/मेरे/हमारे अंतिम ज्ञात निवास स्थान या व्यवसाय स्थान पर छोड़ दिया जाए और ऐसे पते या स्थान पर पोस्ट द्वारा या कूरियर द्वारा या दस्तावेजों के प्रेषण के अन्य साधनों जैसे फैक्स संदेश या इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा द्वारा भेजा जाए और यदि पोस्ट द्वारा भेजा जाए तो इसे उस समय दिया गया माना जाएगा जब इसे पोस्ट के सामान्य क्रम में वितरित किया जाएगा और यह साबित करने के लिए पर्याप्त होगा कि सूचना वाला लिफाफा पोस्ट किया गया था और यदि कूरियर या फैक्स या इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा भेजा जाए तो वितरण पुष्टि पर्ची, फैक्स/इलेक्ट्रॉनिक मेल पुष्टि संदेश, जैसा कि मामला हो, सेवा का पर्याप्त प्रमाण होगा।

18. इस समझौते या इसके निष्पादन से उत्पन्न होने वाले सभी दावों और विवादों का निपटारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार बैंक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकल मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान नोएडा या सहारनपुर में मुख्यालय में या बैंक के किसी भी शाखा में बैंक के एकमात्र विवेक पर होगा। मध्यस्थता कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29बी या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन या वर्तमान में लागू पुनः अधिनियमन के अनुसार संचालित की जाएगी और ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

मैंने/हमने उपर्युक्त खंडों तथा महत्वपूर्ण कर्ज़ समझौते को पढ़ लिया है और समझा दिया गया है। इसे मेरी/हमारी उपस्थिति में भरा गया है। मैं/हम इस महत्वपूर्ण विवरण सहित सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे। पूर्ववत्त में दिए गए कारणनामें और अन्य दस्तावेजों को मेरी/हमारी समझ में आने वाली भाषा में मुझे/हमें बताया गया है और मैंने/हमने विभिन्न खंडों का पूरा तात्पर्य समझ लिया है। ऋण प्राप्तकर्ताओं ने इस समझौते की विषयवस्तु सत्यापित करने और समझने के बाद अपने हस्ताक्षर किए हैं।

	प्रथम भाग का पक्ष: उधारकर्ता	
1.	नाम ______________________________ पता-____________________________	____________________ उधारकर्ता के हस्ताक्षर
2.	नाम ______________________________ पता-____________________________	____________________ उधारकर्ता के हस्ताक्षर
3.	नाम ______________________________ पता-____________________________	____________________ उधारकर्ता के हस्ताक्षर
4.	नाम ______________________________ पता-____________________________	____________________ उधारकर्ता के हस्ताक्षर
	दूसरे पक्ष का पक्ष: बैंक	
	नाम____________________ पता/पंजीकृत/कार्यालय____________________ ______________________________	____________________ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता